न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 128/2022 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2022/143**
दायर दिनांक :– 08.06.2022 **निर्णय दिनांक :– 19.08.2025**

1. रामेश्वरलाल पुत्र गोविन्दराम जाति विश्नोई निवासी कलराबाबेरा तह. बाप जिला फलोदी
2. बंशीलाल पुत्र गोवन्दिराम जाति विश्नोई निवासी कलराबाबेरा तह. बाप जिला फलोदी
3. बुधराम पुत्र गोविन्दराम जाति विश्नोई निवासी कलराबाबेरा तह. बाप जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र गोविन्दराम जाति विश्नोई निवासी कलराबाबेरा तह. बाप जिला फलोदी
2. गंगा पुत्री गोविन्दराम जाति विश्नोई निवासी कलराबाबेरा तह. बाप जिला फलोदी
3. जमना पुत्री गोविन्दराम जाति विश्नोई निवासी कलराबाबेरा तह. बाप जिला फलोदी
4. सुगनी पुत्री गोविन्दराम जाति विश्नोई निवासी कलराबाबेरा तह. बाप जिला फलोदी
5. झमू पुत्री गोविन्दराम जाति विश्नोई निवासी कलराबाबेरा तह. बाप जिला फलोदी
6. शांति पुत्री गोविन्दराम जाति विश्नोई निवासी कलराबाबेरा तह. बाप जिला फलोदी
7. नैनू पुत्री गोविन्दराम जाति विश्नोई निवासी कलराबाबेरा तह. बाप जिला फलोदी
8. धापू पुत्री गोविन्दराम जाति विश्नोई निवासी कलराबाबेरा तह. बाप जिला फलोदी
9. रामकंवर पुत्री गोविन्दराम जाति विश्नोई निवासी कलराबाबेरा तह. बाप जिला फलोदी
10. मोहनी पुत्री गोविन्दराम जाति विश्नोई निवासी कलराबाबेरा तह. बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री ओमप्रकाश गोदारा अधि.अ.सं. 1,5 ता 10

–:: निर्णय ::–

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय से पेश किया है प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। उक्त वाद में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजात से प्रार्थीगण का वाद प्रथम दृष्टया ही साबित है। उक्त वाद में प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूरी–पूरी उम्मीद है। प्रार्थीगण की पैतृक खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि ग्राम मालमसिंह की सिड पटवार क्षेत्र कल्याणसिंह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 400 रकबा 12.4805 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 442 रकबा 9.7286 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 443 रकबा 26.

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

9036 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 399 रकबा 0.1942 हैक्टेयर भूमि स्थित है। ग्राम मालमसिंह की सिड में से नया राजस्व ग्राम बजरंगनगर नवसृजित हो जाने से खसरा नम्बर 442, 443 ग्राम बजरंगनगर की सीमा में स्थित है तथा मालमसिंह की सिड में से नया राजस्व ग्राम कलराबाबेरा नवसृजित हो जाने से खसरा नम्बर 400, 399 ग्राम कलराबाबेरा की सीमा में स्थित है। उक्त वादग्रस्त पैतृक भूमि पूर्व में गोविन्दराम पुत्र हीराराम के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज थी जो गोविन्दराम की एकल खातेदारी की भूमि थी लेकिन गोविन्दराम में अपने जीवनकाल में सरासर गलत रूप से उक्त वादग्रस्त भूमि में पारिवारिक बंटवाड़ा अपने एवं गोमती पत्नी गोविन्दराम व मोहनराम के मध्य करवाया। उक्त सरासर गलत बंटवाड़ा के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 195 मौजा मालमसिंह की सिड भरा जाकर स्वीकृत हुआ। उक्त बंटवाड़ा अनुसार गोविन्दराम के नाम खसरा नम्बर 442 रकबा 60–02 बीघा व खसरा नम्बर 443 रकबा 100–00 बीघा, गोमती पत्नी गोविन्दराम के नाम खसरा नम्बर 400 रकबा 77–02 बीघा, खसरा नम्बर 399 रकबा 1–04 बीघा तथा मोहनराम के नाम 443/1 रकबा 66–04 बीघा भूमि राजस्व रेकर्ड में अलग–अलग दर्ज की गई जबकि उस समय उक्त भूमि मात्र गोविन्दराम के नाम ही दर्ज थी। कानूनन रेकर्डेड खातेदारों के मध्य ही बंटवाड़ा किया जा सकता है और रेकर्डेड खातेदारों के मध्य हुवे बंटवाड़ा में सभी खातेदार रेकर्डेड नहीं थे इसलिये उक्त बंटवाड़ा प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों के विरूद्व शुरू से शून्य एंव प्रभावहीन है। उक्त बंटवाड़ा के आधार पर भये गये नामान्तरकरण संख्या 195 मौजा मालमसिंह की सिड को सरपंच ग्राम पंचायत जाम्बा द्वारा स्वीकृत कियाग या है जो सरासर गलत एवं विधि विरूद्व है। गोविन्दराम के मोहनराम का कोई पुत्र नहीं है। इसलिये प्रार्थीगण नामान्तरकरण संख्या 195 मौजा मालमसिंह की सिउ को खारिज करवा कर उपरोक्त वर्णित पैतृक भूमि में अपने पैतृक 3/13 हिस्से अनुसार खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या 1 अपने नापाक इरादों में सफल होने हेतु लगातार प्रयत्नशील है अगर अप्रार्थी संख्या 1 अपने नापाक इरादों में सफल हो जाता है तो प्रार्थीगण को अपने खातेदारी अधिकारों पर कुठाराघात होगा, जिसका मूल्याकंन रूपयों में नहीं किया जा सकता है और न ही क्षतिपूर्ति ही संभव है। प्रार्थीगण गरीब एंव असहाय व्यक्ति है तथा अप्रार्थीग संख्या 1 साधन सम्पन्न एवं प्रभावशाली व्यक्ति है जिनका मुकाबला करने में प्रार्थीगण असमर्थ है। इसलिये अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये कानून रोका जाना आतिआवश्यक है। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्व इस अमर की जारी की जावे कि उपरोक्त वर्णित खसरान् की भूमि में प्रार्थीगण के चले आ रहे शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी न तो अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावे। जिसका यह अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 5 ता 10 की और से अधिवक्ता ओमप्रकश गोदारा ने मूल वाद में वाकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 1 व 5 ता 10 को जवाब हेतु कई अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 ता

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

4 की और से कोई उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, नजरी नक्शा, नामान्तरकरण इत्यादि का अवलोकन किया गया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओ के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है–

प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वाश करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

नामान्तरकरण संख्या 195 मौजा मालमसिंह की सिड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि गोविन्दराम पुत्र हीराराम के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी तत्पश्चात नामान्तरकरण संख्या 195 के जरिये उक्त भूमि जरिये पारिवारिक बंटवाड़ा के गोमती, मोहनराम, गोविन्दराम के नाम दर्ज की गयी। परन्तु गोमती व मोहनराम वादग्रस्त भूमि के रेकर्डेड खातेदार नहीं होने के बावजूद भी पारिवारिक बंटवाड़ा के जरिये इनके नाम दर्ज कर दी गयी। गोविन्दराम के अन्य और भी वारिसान है या नहीं इसका निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य सुनवाई उपरान्त ही किया जाना है। प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण के मध्य न्यायालय हाजा में वाद अन्तर्गत 88,188,92 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जैरकार है। वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि को लेकर वाद विचाराधीन है। वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188,92 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जैरकार होने के चलते प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

प्रार्थना और जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वादग्रस्त भूमि गोविन्दराम पुत्र हीराराम के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी तत्पश्चात नामान्तरकरण संख्या 195 के जरिये उक्त भूमि जरिये पारिवारिक बंटवाड़ा के गोमती, मोहनराम, गोविन्दराम के नाम दर्ज की गयी। परन्तु गोमती व मोहनराम वादग्रस्त भूमि के रेकर्डेड खातेदार नहीं होने के बावजूद भी पारिवारिक बंटवाड़ा के जरिये इनके नाम दर्ज कर दी गयी। चूंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हुआ है। अतः

13/8/18,
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

न्यायालय के अभिमत में प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो प्रार्थीगण को अधिकतम असुविधा हो सकती है।

अपूर्णीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी 'तात्विक क्षति' से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नहीं की जा सकती।

चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी का दावा अन्तर्गत धारा 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विचाराधीन है और प्रथम दृष्ट्या मामला और सुविधा का सन्तुलन दोनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हुये है। अतः न्यायालय के हस्तक्षेप न करने के परिणामस्वरूप अनुतोष ईप्सित करने वाले प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी।

अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति साबित होने के कारण मूल वाद का निपटारा होने तक अस्थाई व्यादेश के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई व्यादेश बहक प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थी संख्या 1 इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि ग्राम बजरंगनगर पटवार हल्का सुरपुरा तहसील बाप के खसरा नम्बर 442 रकबा 9.7286 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 443 रकबा 26.9036 हैक्टेयर तथा ग्राम कलराबाबेरा पटवार क्षेत्र श्री सुरपुरा के खसरा नम्बर 400 रकबा 12.4805 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 399 रकबा 0.1942 हैक्टेयर में अप्रार्थीगण प्रार्थी के 1/13 हिस्सा तक ता फैसला दावा किसी प्रकार की दखलअंदाजी न करे व राजस्व अभिलेख एवं मौके की यथास्थिति बनायें रखें। पत्रावली इसी कदर निर्णय शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.08.2025 को लिखवाया जाकरे खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.)

19/8/25

(सुखराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)